**विविध बैंक प्रकरण सं0 49/2019 (RCMS 2019/00087) Oriental Bank of Commerce, Cluster Office, RRL, Sri Ganganagar V/s Ms. Sumit Agro Food, 88 Bank Colony, Sri Ganganagar through Prop. Sh. Sumit Kumar S/o Sh. Ramniwas 2. Sh. Sumit Kumar S/o Sh. Ramniwal R/o 13/60, Near Hanuman Mandir, New Dhanmandi, Sriganganagar 3. Smt. Darshana Goyal W/o Sh. Ramniwas Goyal R.o 88 Bank Colony, Sriganganagar**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**01.05.2019**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री मनीष भारद्वाज उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**प्रार्थी बैंक** के प्रतिनिधि का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. सुमित एग्रो, श्री सुमित कुमार एवं श्रीमती दर्शना गोयल को ऋण सुविधा के रूप में 1.00 करोड़ रूपये (अखरे रूपये एक करोड़ मात्र) का ऋण दिनांक 04.02.2015 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्रीमती दर्शना गोयल का Plot No. 554-B (Part), measuring 937.50 Sq.Ft. facing towards west, situated in Chak 3E Chhoti, Sq.No. 38/40, K.No.1, Tehsil & Distt. Sri Ganganagar Presently known as Aggarsain Nagar, Sri Ganganagar में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 26.06.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 26.06.2017 को 56,40,828/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 05.07.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों मै. सुमित एग्रो फूड, श्री सुमित कुमार एवं श्रीमती दर्शना गोयल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी श्रीमती दर्शना गोयल की उक्त अचल सम्पति Plot No. 554-B (Part), measuring 937.50 Sq.Ft. facing towards west, situated in Chak 3E Chhoti, Sq.No. 38/40, K.No.1, Tehsil & Distt. Sri Ganganagar Presently known as Aggarsain Nagar, Sri Ganganagar का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

**मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को** पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी मै. सुमित एग्रो फूड, श्री सुमित कुमार एवं श्रीमती दर्शना गोयल को 1.00/– करोड़ रूपये (अखरे रूपये एक करोड़ मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी श्रीमती दर्शना गोयल की उक्त अचल सम्पति Plot No. 554-B (Part), measuring 937.50 Sq.Ft. facing towards west, situated in Chak 3E Chhoti, Sq.No. 38/40, K.No.1, Tehsil & Distt. Sri Ganganagar Presently known as Aggarsain Nagar, Sri Ganganagar, जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवंम शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक **26.06.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ऋणियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 05.07.2017 भिजवाये गये।** मै. सुमित एग्रो, श्री सुमित कुमार एवं श्रीमती दर्शना गोयल को धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के फलस्वरूप पोस्ट ऑफिस का ऑन लाईन ट्रैक कंसाईनमैंट

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के अनुसार तामील हो चुकी है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के **बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैक** की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।**

**जहां तक ऋण** की एवज में बंधक रखी गयी **अचल सम्पत्ति** Plot No. 554-B (Part), measuring 937.50 Sq.Ft. facing towards west, situated in Chak 3E Chhoti, Sq.No. 38/40, K.No.1, Tehsil & Distt. Sri Ganganagar Presently known as Aggarsain Nagar, Sri Ganganagar **जो ऋणी श्रीमती दर्शना गोयल के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।**

**जहां तक** धारा 13(2) के जारी नोटिस 05.07.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 05.07.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस अप्रार्थीगण मै. सुमित एग्रो फूड, श्री सुमित कुमार एवं श्रीमती दर्शना गोयल के नाम जारी होकर प्राप्त हो चुके है परिणामस्वरूप भारतीय पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रैक कंसाईनमैंट की

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रति पेश की है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। **इसके बाबजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक** की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्रीमती दर्शना गोयल द्वारा बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः प्रार्थी ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, कलस्टर ऑफिस, आर.आर. एल., श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2019** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति Plot No. 554-B (Part), measuring 937.50 Sq.Ft. facing towards west, situated in Chak 3E Chhoti, Sq.No. 38/40, K.No.1, Tehsil & Distt. Sri Ganganagar Presently known as Aggarsain Nagar, Sri Ganganagar जो कि गारंटर श्रीमती दर्शना गोयल पत्नी श्री रामनिवास गोयल के नाम से है और श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। **इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(शिवप्रसाद मदन नकाते)**

जिला रजिस्ट्रार
श्री गंगानगर